भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –5066
उत्तर देने की तारीख़ 03/04/2023

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सुधार

†5066. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी). भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में नियोजित किए जाने के लिए विभिन्न जातियों के प्रोफेसरों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे संस्थानों द्वारा आरक्षण मानकों के अनुपालन की सक्रिय रूप से निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विद्यालयों के अध्यापकों और महाविद्यालयों के प्रोफेसरों को सर्वसमावेशी शिक्षा और भेदभाव रहित प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों के संबंध में दिए जा रहे प्रशिक्षणों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नियोजित होने के लिए विभिन्न जातियों के संकाय को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को लागू किया है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने का निर्देश दिया है और इसके लिए एक मासिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है।

(ग): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदिजैसे तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस विषय पर समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समावेशी शिक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। सीएचईआई के संकाय को उनके संबंधित संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा और गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि संकाय उन्मुखीकरण, संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

*****